अध्याय-15

कार्य की व्यवस्था

प्रथानुसार संसदीय कार्य दो मोटी-मोटी श्रेणियों में बांटा जाता है, अर्थात् सरकारी कार्य और गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य। जैसाकि कहा जा चुका है, प्रत्येक सत्र के आरंभ में बैठकों की जो अस्थायी सारणी जारी की जाती है वह सामान्य रूप से यह दर्शाती है कि सत्र के दौरान किस-किस दिन क्या-क्या कार्य होगा। इस अध्याय में कार्य की उन विभिन्न मदों को दर्शाया गया है जिन्हें सामान्यत: सभा में लिया जाता है। उनमें से प्रत्येक के संबंध में विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख संबंधित अध्याय में किया गया है।

सरकारी कार्य

वस्तुत: गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्प ही ऐसी मदें हैं जो गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य की श्रेणी में आती हैं। इन पर प्रत्येक शुक्रवार को या ऐसे किसी दिन जिसे सभापति नियत करे, ढाई घंटे तक चर्चा की जाती है। सभा के समक्ष प्रतिदिन या समय-समय पर आने वाली अन्य सभी मदों को गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा आरंभ किए जाने पर भी, सरकारी कार्य के लिए आवंटित समय में निपटाया जाता है। ऐसी मदें हैं: प्रश्न और अल्प-सूचना प्रश्न, ध्यानाकर्षण, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव, अल्पकालिक चर्चा, संविधान या संसद् के किसी अधिनियम के अनुसरण में बनाए गए नियमों, विनियमों, उप-विधियों आदि के संशोधनार्थ सांविधिक प्रस्ताव, सार्वजनिक महत्त्व के विषयों पर प्रस्ताव, आधे घंटे की चर्चा, सांविधिक संकल्प, शून्य-काल के दौरान सदस्यों द्वारा किए गए उल्लेख, विशेष उल्लेख के मामले और विशेषाधिकार संबंधी मामले। इसके अतिरिक्त, कार्य की ऐसी मदें जैसे सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि और अन्य उल्लेख और सभापति द्वारा की गई घोषणाएं भी सरकारी समय में होती हैं।

> 93वें (1975) और 98वें (1976) सत्र के दौरान इस आशय के सरकारी प्रस्ताव स्वीकृत किए गए कि इन सत्रों के दौरान केवल सरकारी कार्य किया जाएगा और सभा के समक्ष कोई अन्य कार्य न तो लाया जाएगा और न किया जाएगा।[1]

शून्य-काल के उल्लेखों, विशेष उल्लेख संबंधी मामलों, विशेषाधिकार के मामलों, उल्लेखों और सभापीठ द्वारा की जाने वाली घोषणाओं, मंत्रियों के परिचय के अलावा अन्य सभी मदों को कार्यावलि में दर्ज किया जाता है। प्रश्नों, अल्प-सूचना प्रश्नों और सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों के मामले में पृथक् सूचियां छापी जाती हैं और इसलिए मुख्य कार्यावलि में इन सूचियों का उल्लेख मात्र होता है। सदस्यों द्वारा बड़ी संख्या में शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के मामले में कार्यावलि में एक सामान्य प्रविष्टि होती है जिसमें यह उल्लेख होता है कि जिन सदस्यों ने शपथ नहीं ली है या प्रतिज्ञान नहीं किया है वे विहित रूप में ऐसा करेंगे। यदि एक ही सदस्य को शपथ लेनी होती है या प्रतिज्ञान करना होता है और उसकी पूर्व सूचना प्राप्त हो जाती है तो शपथ/प्रतिज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत उसके नाम का भी कार्यावलि में उल्लेख किया जाता है।

सभापति द्वारा सभा में समय-समय पर कतिपय मामलों के बारे में घोषणाएं की जाती हैं जैसे किसी सदस्य द्वारा त्याग-पत्र दिया जाना, किसी सदस्य की गिरफ्तारी, किसी सदस्य का निरुद्ध किया जाना, दोषसिद्धि या रिहाई, सदस्यों को अनुपस्थिति की अनुमति, सभा की अध्यक्षता के लिए उपसभाध्यक्षों के

नामों की सूची बनाना, राष्ट्रपति से प्राप्त संदेश, विशेष प्रकोष्ठ से सदन की कार्यवाही देखने के लिए आए हुए विदेशी संसदीय शिष्टमंडलों का स्वागत इत्यादि। ऐसी घोषणाओं के संबंध में कार्यावलि में कोई उल्लेख नहीं किया जाता। इन सभी मामलों को मुख्य कार्य के शुरू होने के पूर्व दिन के आरंभ में लिया जाता है।

सरकार द्वारा या सरकारी समय में आरंभ होने वाले कार्य की मदों को अनेक शीर्षों के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

सभा पटल पर रखे गए पत्र

संविधान के संबंधित उपबंधों, संसद् के किसी अधिनियम या किसी अन्य कानून, सदन के नियम या विनियम या परंपरा या प्रथा या सदन के प्रक्रिया संबंधी नियमों के अधीन मंत्रियों द्वारा विभिन्न प्रतिवेदनों, पत्रों और दस्तावेजों को सभा पटल पर रखा जाता है। सभा में इन पत्रों को रखने का प्रयोजन सभा को प्रामाणिक और प्राधिकृत सूचना या तथ्य उपलब्ध कराना है।

संविधान के अनुसार निम्नलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखना आवश्यक है: वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदानों की अनुपूरक मांगें,[2] राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश और उद्घोषणाएं और इनसे संबंधित आदेश[3] तथा (1) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन[4], (2) वित्त आयोग का प्रतिवेदन, उस पर की गई कार्यवाही को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित,[5] (3) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों संबंधी विशेष अधिकारी (आयुक्त) का प्रतिवेदन,[6] (4) पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन, उस पर की गई कार्यवाही को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित,[7] (5) भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी (भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त) का प्रतिवेदन[8] और (6) संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन, उन मामलों के बारे में, यदि कोई हों, एक ज्ञापन सहित जहां सरकार द्वारा आयोग की सलाह नहीं मानी गई और सलाह न मानने के कारण।[9] यह भी आवश्यक है कि संघ लोक सेवा आयोग के कृत्यों के बारे में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए विनियमों को सभा पटल पर रखा जाए।[10] वित्त आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रतिवेदन समय-समय पर, जब भी वे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं, सभा पटल पर रखे जाते हैं। अन्य प्राधिकारियों के प्रतिवेदन वार्षिक रूप से सभा पटल पर रखे जाते हैं।

केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य अधीनस्थ प्राधिकारी को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले विभिन्न कानूनों में एक उपबंध है जिसके अधीन नियमों, विनियमों, उप-विधियों, स्कीमों आदि को तीस दिन की ऐसी अवधि के भीतर सभा पटल पर रखना होता है जो एक सत्र या दो और उससे अधिक क्रमवर्ती सत्रों से मिलकर बनती है। इनके अतिरिक्त विशिष्ट कानूनों के अधीन गठित जांच आयोगों के प्रतिवेदनों और विभिन्न सार्वजनिक/सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों/लेखाओं को भी सभा पटल पर रखना आवश्यक है।

प्रक्रिया संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित पत्रों को प्रस्तुत करना/सभा पटल पर रखना आवश्यक है: विधेयकों संबंधी प्रवर/संयुक्त समितियों के प्रतिवेदन,[11] स्थायी समितियों के प्रतिवेदन,[12] याचिकाएं[13] और अध्यादेशों के संबंध में विवरण।[14] समितियों के प्रतिवेदन संबंधित समितियों के अध्यक्ष या प्राधिकृत सदस्यों द्वारा सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं या सभा पटल पर रखे जाते हैं और याचिकाएं उन सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं जो ऐसी याचिकाओं पर प्रतिहस्ताक्षर करते हैं। अध्यादेशों से संबंधित विवरण संबंधित मंत्रियों द्वारा सभा पटल पर रखे जाते हैं और वे ऐसे अध्यादेशों के स्थान पर विधेयकों को भी पुर:स्थापित करते हैं।

प्रक्रिया संबंधी नियमों के अनुसार महासचिव द्वारा कतिपय पत्रों को सभा पटल पर रखना भी आवश्यक है। ऐसे पत्र हैं: राज्य सभा द्वारा पारित और लोक सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाए गए विधेयक,[15] लोक सभा द्वारा पारित और राज्य सभा को भेजे गए विधेयक, जिनमें धन विधेयक भी शामिल हैं[16] महासचिव संविधान के अनुच्छेद 87 के अधीन एक साथ समवेत हुए संसद् के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति भी सभा पटल पर रखता है। सत्र के आरंभ में महासचिव सदन की सूचना के लिए संसद् के सदनों द्वारा पारित उन विधेयकों का विवरण सभा पटल पर रखता है जिन पर राष्ट्रपति ने पिछले सत्र के दौरान अनुमति दे दी हो।

> तथापि 147वें सत्र के दौरान महासचिव ने संविधान (इकसठवां संशोधन) विधेयक, 1988 की एक प्रति सभा पटल पर रखी जिस पर राष्ट्रपति ने 28 मार्च, 1989 को अपनी अनुमति दी थी।[17] 157वें सत्र के दौरान महासचिव ने संविधान (अड़सठवां संशोधन) विधेयक, 1991 की एक प्रति सभा पटल पर रखी जिस पर राष्ट्रपति ने 12 मार्च, 1991 को अपनी अनुमति दी थी।[18] ऐसा इन विधेयकों के महत्त्व को देखते हुए किया गया था।

पत्रों को सभा पटल पर रखे जाने को सुविधाजनक बनाने के लिये हाल में मंत्रालयों को अनुपालनार्थ कुछ दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। मंत्रालयों के लिये जरूरी है कि वे पत्रों को सभा पटल पर रखने की तारीख से ठीक तीन कार्य-दिवसों से पूर्व अपने पत्र भेज दें। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी मंत्रालयों को, प्रत्येक सत्र के आरम्भ होने से पूर्व एक परिपत्र जारी किया जाता है जिसमें उनसे यह अनुरोध किया जाता है कि वे निर्धारित समय के भीतर अपने पत्र भेज दें। इन पत्रों के समय पर न मिलने पर उन्हें मंत्रालय को प्रश्नों के लिये आवंटित आगामी दिवस की सूची में डाल दिया जाता है।

अशुद्धियों को ठीक करने के लिए वक्तव्य

जब कोई मंत्री यह देखता है कि उसने तारांकित/अतारांकित, अल्प-सूचना प्रश्न या किसी अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में या वाद-विवाद के दौरान सभा में गलत सूचना दी है तो वह अपने पिछले उत्तर या सूचना की अशुद्धि को दूर करने के लिए कोई वक्तव्य दे सकता है या उसे सभा पटल पर रख सकता है। इस मद को कार्यावलि में शामिल करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रस्तावित वक्तव्य की पूर्व सूचना के साथ उसकी एक प्रति महासचिव को दी जाए। प्रश्नों से संबंधित अशुद्धियों को ठीक करने के लिए दिए जाने वाले वक्तव्य सामान्यत: प्रश्न-काल की समाप्ति के तुरंत बाद दिए जाते हैं या सभा पटल पर रखे जाते हैं। किसी वाद-विवाद के दौरान दी गई सूचना में हुई गलती को ठीक करने वाला वक्तव्य ऐसे समय में दिया जा सकता है या सभा पटल पर रखा जा सकता है जिसकी सभापति अनुमति दें।

> उदाहरण के लिए रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग के राज्य मंत्री ने बोफोर्स संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन के बारे में किए गए प्रस्ताव के संबंध में 12 अगस्त, 1987 को राज्य सभा में दिए गए अपने उत्तर की अशुद्धि को ठीक करने के लिए एक वक्तव्य दिया ताकि ''सभी संदेहों का निराकरण हो सके''।[19]

ध्यानाकर्षण के उत्तर में दिए गए वक्तव्य

ध्यानाकर्षण के मामले को प्रश्नों के बाद और पत्रों के, यदि कोई हों, सभा पटल पर रखे जाने के बाद और कार्यावलि में दर्ज किसी मद को लेने के पहले उठाया जाता है और मंत्री उसके उत्तर में एक संक्षिप्त वक्तव्य देता है।[20]

लोक महत्व के मामलों पर मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

सभापति की अनुमति से कोई मंत्री लोक महत्व के किसी विषय पर वक्तव्य दे सकता है।[21] सामान्यत: जिस तारीख को मंत्री द्वारा वक्तव्य देने का विचार होता है उसके बारे में प्रस्तावित वक्तव्य की एक प्रति के साथ सचिवालय को उसकी अग्रिम सूचना भेजनी पड़ती है ताकि वह मद कार्यावलि में शामिल की जा सके। यदि किन्हीं अविलम्बनीय मामलों में मंत्री उसी दिन कोई वक्तव्य देने का अनुरोध करता है तो समय के उपलब्ध रहने पर एक अनुपूरक कार्यावलि जारी की जाती है जिसमें ऐसे वक्तव्य के समय का उल्लेख होता है अन्यथा सभापीठ द्वारा इस संबंध में घोषणा की जाती है और सदस्यों की सूचना के लिए सीसीटीवी में सूचना दर्शायी जाती है।

नियमानुसार ''जिस समय वक्तव्य दिया जाए उस समय कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा।''[22] किंतु पिछले कई वर्षों के दौरान यह प्रथा या परंपरा विकसित हुई है कि सदस्यों को वक्तव्य पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने की अनुमति दी जाए। यह परंपरा अब नियम का अभिन्न अंग बन गई है। सामान्यत: वक्तव्य देने के तुरन्त बाद स्पष्टीकरण मांगे जाते हैं। किंतु ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां किसी दिन वक्तव्य तो दे दिया गया है किन्तु स्पष्टीकरण बाद में मांगे गए हैं। यदि वक्तव्य की विषय-वस्तु पर चर्चा करने के लिए कोई अन्य अवसर उपलब्ध हो तो सदन स्पष्टीकरण को छोड़ने का भी निर्णय कर सकता है।

> उदाहरण के लिए कार्य मंत्रणा समिति ने सिफारिश की थी कि मैसर्स कुओ ऑयल से एचएसडी के खरीदे जाने के विषय पर 29 जुलाई, 1982 को होने वाली अल्पकालिक चर्चा को देखते हुए इस संबंध में दिए गए वक्तव्य पर कोई स्पष्टीकरण न मांगे जाएं।[23]

पिछले समय में मंत्रियों द्वारा वक्तव्य बैठक के आरंभिक समय के दौरान होते थे। स्पष्टीकरण मांगने की प्रथा को देखते हुए, कार्य मंत्रणा समिति ने सिफारिश की थी कि कोई मंत्री सभापति की सहमति से मध्याह्न-पश्चात् पांच बजे या उसके बाद वक्तव्य दे सकता है किंतु सभापति द्वारा अनुमति देने पर वह किसी अन्य समय पर भी वक्तव्य दे सकता है।[24] अत: आजकल कार्यावलि में वक्तव्य का समय सामान्यत: सभा की बैठक के उत्तरार्द्ध में मध्याह्न-पश्चात् 5 बजे या कार्यावलि में दर्ज कार्य के पूरा होने के बाद और सभा के उठने के पहले का होता है।

जहां तक मंत्री के वक्तव्य पर स्पष्टीकरण मांगने की प्रक्रिया का संबंध है, यह निर्धारित किया गया है कि:

(i) चार या उससे अधिक सदस्यों वाले दल/समूह में से केवल एक सदस्य को वक्तव्य पर बोलने के लिए कहा जा सकता है और जहां तक कांग्रेस (आई) दल का संबंध है, उस दल से दो या तीन सदस्यों को स्पष्टीकरण के लिए बुलाया जा सकता है।

(ii) चार से कम सदस्य-संख्या वाले समूह के सदस्यों को वक्तव्य पर बारी-बारी से स्पष्टीकरण पूछने का अवसर दिया जा सकेगा।

(iii) स्पष्टीकरण मांगने में कोई सदस्य तीन मिनट से अधिक समय नहीं लेगा।[25]

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

कोई सदस्य सभापति की अनुमति से व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे सकता है चाहे सभा में उसे देने का प्रश्न न भी हो। किंतु इस मामले में कोई वाद-विवाद का विषय नहीं लाया जाना चाहिए और कोई वाद-विवाद

नहीं होना चाहिए।[26] ऐसे सदस्य, जिनके विरुद्ध सभा में व्यक्तिगत रूप से टिप्पणियां की गई हों या जिनकी आलोचना की गई हो, सभापति की अनुमति से अपने बचाव में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे सकते हैं। व्यक्तिगत स्पष्टीकरण एक ऐसा तरीका है जिसका प्रयोग करके कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य द्वारा उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप के उत्तर में या उसके विरुद्ध दिए गए किसी कथित गलत वक्तव्य का खंडन करने के लिए अपने आचरण और स्थिति को स्पष्ट कर सकता है। व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दिवस के मुख्य कार्य को लेने के पहले दिया जाता है। किंतु कोई सदस्य सभापीठ की अनुमति से ऐसे वाद-विवाद के दौरान भी व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे सकता है जब उसके विरुद्ध कोई आरोप लगाए जाएं।

यदि कोई सदस्य नियम 238क का अनुसरण किए बिना वाद-विवाद के दौरान किसी सदस्य या मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाता है तो जिस सदस्य या मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं उसे उसके अनुरोध पर उसी दिन या बाद में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने की अनुमति दी जाती है ताकि वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर सके। यदि वह तुरंत व्यक्तिगत स्पष्टीकरण नहीं देता या वह उस समय सभा में उपस्थित न हो तो उसे सभापति को लिखित निवेदन करने पर और उसके साथ उस सदस्य द्वारा दिए जाने वाले वक्तव्य की एक प्रति संलग्न करने पर बाद में वक्तव्य देने की अनुमति दी जाती है। ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि सभापति यह जानकारी प्राप्त कर सके कि जो सदस्य व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता है वह ऐसी बात तो नहीं करने जा रहा है जो वाद-विवाद का विषय बन सकती हैं। यदि अनुमति दे दी जाती है तो सदस्य सभा में वक्तव्य देता है और उस पर कोई प्रश्न पूछने की अनुमति नही होती और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि व्यक्तिगत स्पष्टीकरण किसी बहस का रूप धारण न कर ले। किसी साधारण सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दिए जाने पर किसी अन्य सदस्य को उसके विरोध में कोई स्पष्टीकरण देने की अनुमति प्रदान करने की सामान्यत: प्रथा नहीं है। सभा की कार्यवाही के दौरान दोनों पक्षों द्वारा वक्तव्य दे दिए जाने के बाद मामले को समाप्त समझा जाता है।

यदि किसी सदस्य या मंत्री से व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिए कोई अनुरोध प्राप्त होता है और सभापति उसकी अनुमति दे देता है तो इस विषय के संबंध में कार्यावलि में एक मद शामिल की जाती है।

> उदाहरण के लिए 17 नवम्बर, 1980 की कार्यावलि में एक मद शामिल की गई थी जो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री श्री सी॰पी॰एन॰ सिंह के व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के बारे में थी। यह व्यक्तिगत स्पष्टीकरण श्री सिंह के बारे में उन टिप्पणियों के संबंध में था जो 18 अगस्त, 1980 को दिवस के अंत में दो सदस्यों ने की थीं। इसके अतिरिक्त पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती मेनका गांधी के बारे में 28 अगस्त, 1990 को प्रश्न-काल के बाद कुछ टिप्पणियां की गई थीं और उनके बारे में श्रीमती गांधी द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दिए जाने के संबंध में 30 अगस्त, 1990 की संशोधित कार्यावलि में एक मद शामिल की गई थी।
>
> श्री राम जेठमलानी के सम्बन्ध में 28 जुलाई, 2000 को सभा में पत्रों/प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने के पश्चात् की गई कतिपय टिप्पणियों के बारे में श्री जेठमलानी द्वारा दिये जाने वाले व्यक्तिगत स्पष्टीकरण से सम्बन्धित एक मद 1 अगस्त, 2000 की अनुपूरक कार्यावलि में शामिल की गई थी।

समितियों के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

कार्य की दूसरी औपचारिक मद ऐसी समिति, प्राधिकरण या निकाय में कार्य करने के लिए सदन के सदस्यों को निर्वाचित करने का प्रस्ताव है जो संसद् के किसी अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी सरकारी संकल्प के अनुसरण में गठित किया जाए। संसदीय कार्य मंत्रालय यह सूचित करता है कि संबंधित मंत्री ऐसा प्रस्ताव किस तारीख को उपस्थित करेगा और उस दिन की कार्यावलि में

सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों की मद के बाद और मुख्य कार्यवाही की मद के पहले इस मद को दर्ज किया जाता है।

विधेयकों को पुर:स्थापित करने या वापस लेने के लिए प्रस्ताव

किसी विधेयक को पुर:स्थापित करने या वापस लेने की अनुमति चाहने वाला प्रस्ताव कार्य की एक औपचारिक मद होने के नाते उसे दिवस के मुख्य कार्य को हाथ में लेने के पहले निपटाया जाता है। कार्यावलि में एक मद मंत्री के उस वक्तव्य के बारे में होती है जिनमें उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया जाता है जिनके कारण अध्यादेश द्वारा तुरंत विधान बनाना आवश्यक हो गया था। कार्यावलि में इस मद को उस अध्यादेश का स्थान लेने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव से संबंधित मद से पहले दर्ज किया जाता है।[27] विधेयक या विधेयकों को पुर:स्थापित करने की अनुमति चाहने वाले प्रस्ताव या प्रस्तावों को किसी दिन की कार्यावलि में शामिल किया जा सकता है, चाहे वह दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने[28] या वित्तीय कार्य को निपटाने के लिए[29] नियत कर दिया गया हो।

विधान कार्य

सदन में विधेयकों का पुर:स्थापन मंत्री और गैर-सरकारी सदस्य दोनों कर सकते हैं। किन्तु सरकारी समय के दौरान उन्हीं विधेयकों का पुर:स्थापन किया जाता है और उन्हीं पर विचार किया जाता है जिनके बारे में मंत्रियों द्वारा सूचना दी जाती है। गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को पुर:स्थापित करने और उन्हें निपटाने का कार्य गैर-सरकारी सदस्यों के लिए आवंटित समय में ही किया जा सकता है।

प्रस्ताव

लोक महत्त्व के किसी मामले पर चर्चा करने का प्रस्ताव सभापति की अनुमति से उपस्थित किया जा सकता है। यदि किसी मंत्री द्वारा किसी प्रस्ताव की सूचना दी जाती है तो उस प्रस्ताव को सरकारी प्रस्ताव कहा जाता है ताकि उसके और किसी गैर-सरकारी सदस्य के प्रस्ताव के बीच अंतर स्पष्ट हो सके। किसी प्रस्ताव पर जो चर्चा होती है वह सरकारी समय में होती है, चाहे वह सरकारी प्रस्ताव हो या न हो। प्रथा यह है कि गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा जिन प्रस्तावों की सूचना दी जाती है और जिन्हें गृहीत कर लिया जाता है उनमें से उन्हीं प्रस्तावों को विचारार्थ लिया जाता है जिनकी कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सिफारिश की गई हो या चयन किया गया हो। इस प्रयोजन के लिए कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं किया गया है किन्तु कभी-कभी स्वयं कार्य मंत्रणा समिति प्रस्ताव का चयन करते हुए समय का आवंटन कर सकती है और यहां तक कि चर्चा की तारीख के बारे में भी सिफारिश कर सकती है।

> उदाहरण के लिए कार्य मंत्रणा समिति ने सिफारिश की थी कि प्रधान मंत्री के परिवार के सदस्यों के विरुद्ध जांच आयोग की नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव पर 10 अगस्त, 1978 को चर्चा होनी चाहिए। तद्नुसार इस प्रस्ताव को उसी दिन लिया गया।[30]

संकल्प

मंत्री और गैर-सरकारी सदस्य दोनों ही संकल्प उपस्थित कर सकते हैं किन्तु जैसाकि विधेयकों के मामले में होता है, मंत्रियों द्वारा उपस्थित किए गए संकल्पों को ही, जिन्हें सरकारी संकल्प कहा जाता है,

सरकारी समय के दौरान लिया जाता है। तथापि, गैर-सरकारी सदस्यों के सांविधिक संकल्पों पर सरकारी समय के दौरान चर्चा होती है। ऐसे संकल्प हैं: राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश के निरनुमोदन के लिए संकल्प या संसद् के किसी अधिनियम के अनुसरण में सभा पटल पर रखे गए किसी सांविधिक नियम या आदेश के रूपांतरण के लिए या उसके रद्द करने के लिए संकल्प। गैर-सरकारी सदस्यों के अन्य संकल्पों, अर्थात् सांविधिक संकल्पों से भिन्न संकल्पों को गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिए आवंटित समय के दौरान लिया जाता है।

चर्चाएं

संसदीय प्रथा के एक सामान्य नियम के रूप में कोई प्रस्ताव वह प्ररूप है जिसके अनुसार किसी विषय पर वाद-विवाद आरंभ करना आवश्यक है। तथापि, प्रक्रिया संबंधी नियमों में इसके कई अपवाद दिए गए हैं जिनके अंतर्गत किन्हीं औपचारिक प्रस्तावों के बिना भी चर्चाएं हो सकती हैं । किसी अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय पर बिना किसी औपचारिक प्रस्ताव के चर्चा हो सकती है।[31]

बजट पर सामान्य चर्चा होती है किन्तु उसके लिए कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जाता।[32] किसी मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा लंबे समय से चली आ रही प्रथा के अनुसार हर वर्ष किसी औपचारिक प्रस्ताव के बिना ही होती है। किसी प्रश्न से उत्पन्न होने वाली आधे घंटे की चर्चा भी सदन में औपचारिक प्रस्ताव किए बिना होती है।[33]

यद्यपि किसी अल्पकालिक चर्चा के मामले में कार्यावलि में उन सभी सदस्यों के नाम होते हैं जिनकी किसी विषय से संबंधित सूचनाएं गृहीत कर ली गई हैं तथापि बजट और किसी मंत्रालय के कार्यकरण पर होने वाली चर्चाओं के बारे में कार्यावलि में सिर्फ एक सामान्य प्रविष्टि होती है। बजट पर सामान्य चर्चा सबसे बड़े विपक्षी दल के किसी सदस्य द्वारा आरंभ की जाती है और किसी मंत्रालय के कार्यकरण पर होने वाली चर्चा के मामले में दल/समूह अपने बीच यह फैसला करते हैं कि उसकी शुरुआत कौन करेगा। ये सभी चर्चाएं सरकारी समय में होती हैं। अल्पकालिक चर्चा के समय के बारे में सभापति द्वारा निर्णय किया जाता है। किन्तु कई बार कार्य मंत्रणा समिति ने भी यह सिफारिश की है कि यह चर्चा अमुक दिन के लिए नियत की जाए।[34] जहां तक आधे घंटे की चर्चा का संबंध है, सामान्यत: वह किसी बैठक के आखिरी समय पर अर्थात् मध्याह्न पश्चात् पांच या छह बजे या कार्य की दूसरी मदों के निबटने पर उससे पहले भी होती है। इस प्रयोजन के लिए कार्यावलि में एक मद शामिल की जाती है जिसके अंतर्गत उस सदस्य या उन सदस्यों के नामों का उल्लेख होता है जिसकी या जिनकी सूचना गृहीत कर ली जाती है।

तथापि, ऐसे भी अवसर आये हैं जब किसी न किसी कारण से सामान्य बजट और रेल बजट पर सामान्य चर्चा नहीं हो सकी। वर्ष 1999 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता वाली सरकार ने 17 अप्रैल, 1999 को लोक सभा में विश्वास-मत खो दिया और परिणामस्वरूप, इससे पहले कि सामान्य बजट और रेल बजट पर चर्चा हो पाती, लोक सभा भंग हो गई। वर्ष 2000 में, 189वें सत्र के दौरान सामान्य बजट (2000-01) और विनियोग (रेल) विधेयक को बजट सत्र के पहले भाग के अन्तिम दिन बिना चर्चा के ही पारित कर दिया गया। वर्ष 2000-01 के रेल बजट पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। वर्ष 2001 में, 192वें सत्र के दौरान 'तहलका' द्वारा किये गये रहस्योद्घाटनों के संदर्भ में निरन्तर व्यवधान के कारण बजट सत्र के दौरान सामान्य बजट और रेल बजट पर सामान्य चर्चा नहीं हो पायी।

वित्तीय कार्य

सदन का वित्तीय कार्य इस प्रकार है : रेल तथा सामान्य बजटों और अनुदानों की अनुपूरक मांगों को लोक सभा में प्रस्तुत करने के बाद सभा पटल पर रखा जाना, रेल तथा सामान्य बजटों पर चर्चा, संबंधित विनियोग विधेयकों और वित्त विधेयक पर विचार और उनका लौटाया जाना, उन राज्यों के बजटों आदि का सभा पटल पर रखा जाना जो राष्ट्रपति शासन के अधीन हों और उनसे संबंधित विनियोग विधेयकों पर विचार और उनका लौटाया जाना और कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के कार्यकरण पर चर्चा। कार्यावलि में इन सभी मदों के बारे में आवश्यक प्रविष्टियां की जाती हैं।

सरकारी कार्य का समय

सभा की बैठक का सामान्य समय एक घंटे के मध्याह्न-भोजन के अवकाश सहित मध्याह्न-पूर्व 11 बजे से मध्याह्न-पश्चात् 5 बजे तक का होता है। सत्र के पहले सप्ताह में सामान्यत: समय के इसी क्रम का अनुसरण किया जाता है। इस समय के दौरान कार्य मंत्रणा समिति की जो बैठक होती है उसमें सामान्यत: यह सिफारिश की जाती है कि सभा को सरकारी कार्य के निष्पादन के लिए मध्याह्न-पश्चात् 6 बजे तक और यदि आवश्यक हो तो उसके बाद भी बैठना चाहिए। प्रत्येक बैठक के पहले घंटे के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। इसके बाद मध्याह्न-भोजन के अवकाश तक या कभी-कभी उसके बाद भी सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, समितियों आदि के लिए निर्वाचन संबंधी प्रस्ताव, शून्य-काल में किए जाने वाले उल्लेख और विशेष उल्लेख जैसी मदें चलती रहती हैं। इस प्रकार मध्यावकाश के बाद सभा के पुन: समवेत होने पर ही वास्तविक सरकारी कार्य शुरू होता है। शुक्रवार को सरकारी काम नहीं के बराबर होता है तथापि, मध्याह्न 12 बजे और मध्याह्न-भोजन के अवकाश के बीच या मध्याह्न-पश्चात् 5 बजे के बाद कुछ निर्धारित सरकारी कार्य किया जा सकता है।

> सरकारी कार्य के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध न होने के विषय पर कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय-समय पर विचार किया जाता रहा है। उदाहरण के लिए 8 मार्च, 1982 को हुई अपनी बैठक में उसने सिफारिश की कि सभा के कार्य की व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि सरकारी कार्य के लिए नियत किए गए दिवसों को सरकारी कार्य के लिए प्रतिदिन चार घंटे उपलब्ध हों। समिति की राय थी कि इसका अर्थ यह है कि सभा को कार्य का निष्पादन करने के लिए प्रतिदिन और अधिक समय तक अर्थात् आवश्यक होने पर मध्याह्न-पश्चात् 6 बजे के बाद भी बैठना पड़ेगा।[35] समिति ने 12 अगस्त, 1993 को हुई अपनी बैठक में यह मत व्यक्त किया कि सरकारी विधान कार्य को पूरा करने के लिए प्रतिदिन चार घंटे का समय होना चाहिए और विधान कार्य से भिन्न सभी कार्यों को मध्याह्न-पश्चात् ढाई बजे तक पूरा कर लिया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो इसके लिए मध्याह्न-भोजन का अवकाश भी छोड़ दिया जाना चाहिए।[36] समिति ने 19 अगस्त, 1993 को हुई अपनी बैठक में इस राय को दोहराया।[37]

सरकारी कार्य की व्यवस्था

जो दिन सरकारी कार्य करने के लिए नियत किए जाते हैं उन दिनों सरकारी कार्य को प्राथमिकता दी जाती है।[38]

> शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दूसरे प्रतिवेदन (1957-58) पर विचार करने के लिए एक प्रस्ताव की सूचना दी।[39] इसके पहले इसी विषय पर गैर-सरकारी सदस्यों का एक प्रस्ताव गृहीत किया गया था और उसे एक अनियत दिन वाले प्रस्ताव के रूप में अधिसूचित किया गया था।[40] कार्यावलि में केवल

सरकारी प्रस्ताव को शामिल किया गया था क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रम में यह उल्लेख किया गया था कि अगले सप्ताह में इस विषय के संबंध में केवल सरकारी प्रस्ताव पर चर्चा होगी।[41] तद्नुसार 26 फरवरी, 1959 को सरकारी प्रस्ताव पर विचार किया गया।

16 अगस्त, 1962 को रेल दुर्घटनाओं के संबंध में सभा पटल पर एक वक्तव्य रखा गया। इस वक्तव्य के संबंध में एक सरकारी प्रस्ताव गृहीत हुआ और उसे संसदीय समाचार में अधिसूचित किया गया।[42] इसके कुछ पहले लगातार हुई अनेक रेल दुर्घटनाओं के कारण उत्पन्न हुई स्थिति पर कुछ सदस्यों द्वारा दिए गए प्रस्ताव को भी गृहीत कर लिया गया और उसे अनियत दिन वाले प्रस्ताव के रूप में अधिसूचित किया गया।[43] कार्यावलि में केवल सरकारी प्रस्ताव शामिल किया गया। व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया और सरकार से पूछा गया कि उस स्थिति में सरकारी प्रस्ताव को सदन में कैसे लिया जा सकता है जब इसी प्रकार का एक प्रस्ताव, जिसकी दो सदस्यों ने सूचना दी हो और सभापति द्वारा जिसे गृहीत किया जा चुका हो और उसे संसदीय समाचार में अधिसूचित भी किया जा चुका हो। व्यवस्था का प्रश्न उठाने वाले सदस्य ने तर्क दिया कि मंत्री का प्रस्ताव चाहे सदस्यों द्वारा दिये गए प्रस्ताव के समान ही क्यों न हो, जिन सदस्यों ने प्रस्ताव की सूचना पहले दी है उन्हें प्रस्ताव उपस्थित करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इस पर उपसभाध्यक्ष ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

> अध्याय 10 में प्रस्तावों से संबंधित नियमों में सरकारी प्रस्ताव और गैर-सरकारी प्रस्ताव के बीच कोई विभेद नहीं किया गया है। इसलिए नियम दोनों प्रस्तावों पर लागू होते हैं... मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि वे सरकारी कार्य से संबंधित नियम 22 को देखें। यदि आज गैर-सरकारी सदस्यों का दिन होता तो बात अलग होती। आज सरकारी कार्य का दिन है। अत: मेरा निर्णय है कि जहां सरकारी कार्य के दिन दो प्रस्ताव हों, जिनमें से एक सदस्यों का और दूसरा सरकार का हो, वहां सरकारी प्रस्ताव को पूर्ववर्तिता प्राप्त होगी।[44]

चिट फंड विधेयक, 1982 पर विचार करने के प्रस्ताव पर एक सदस्य ने एक संशोधन दिया कि विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाए। इसके बाद संबंधित मंत्री ने भी इस प्रयोजन के लिए एक संशोधन दिया। केवल मंत्री का संशोधन उपस्थित किया गया और उपसभापति ने टिप्पणी की ''सदस्य के प्रस्ताव की अपेक्षा मंत्री के प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जाएगी। नियम यही है।''[45]

महासचिव से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सरकारी कार्य की व्यवस्था ऐसे क्रम में करेगा जिसे कि सभापति सभा के नेता से परामर्श करने के बाद निर्धारित करे।[46]

किसी सत्र के आरंभ होने के लगभग दस दिन पहले संसदीय कार्य मंत्री संबंधित मंत्री से स्वीकृति लेने के बाद सचिवालय को एक विवरण उपलब्ध कराता है जिसमें यह सूचना होती है कि समूचे सत्र के दौरान सदन में क्या-क्या सरकारी कार्य होने की संभावना है। सदस्यों की सूचना के लिए यह सूचना संसदीय समाचार में प्रकाशित की जाती है।[47] किसी सत्र के आरंभ होने के लगभग चार या पांच दिन पूर्व सत्र के पहले दो दिनों के लिए एक कार्यावलि जारी की जाती है जिसमें संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा सूचित किए गए कार्य का उल्लेख किया जाता है। सत्र के आरंभ होने के पूर्व के अंतिम कार्य-दिवस को पहले दिन की कार्यावलि में संशोधन किया जाता है और संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा सूचित किए गए सरकारी कार्य के अलावा सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, ध्यानाकर्षण, यदि कोई हो, और प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने जैसी कार्य की मदों को उसमें शामिल किया जाता है।

सत्र के आरंभ होने के बाद संसदीय कार्य मंत्रालय किए जाने वाले सरकारी कार्य के बारे में प्रतिदिन सूचना देता है। यदि किसी दिन की कार्यावलि जारी की जा चुकी हो और संसदीय कार्य मंत्रालय या किसी अन्य मंत्रालय से उस दिन किए जाने वाले कार्य की कोई नई मद प्राप्त हो जाए तो उस मद का उल्लेख करने के लिए अनुपूरक कार्यावलि जारी की जाती है और आवश्यकता होने पर संशोधित कार्यावलि भी जारी की जाती है। जहां समय कम हो वहां अनुपूरक कार्यावलि उसी दिन सभा में ही सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाती है।

सदन में किए जाने वाले सरकारी कार्य संबंधी वक्तव्य

प्रत्येक सप्ताह अगले सप्ताह के दौरान सदन में किए जाने वाले सरकारी कार्य के बारे में सदन में एक वक्तव्य दिया जाता है ताकि सदस्यों को सदन द्वारा किए जाने वाले सरकारी कार्य के बारे में सूचना प्राप्त होती रहे।

> प्रारंभ के वर्षों में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सरकारी विधान कार्य के क्रम के बारे में समय-समय पर घोषणा किए जाने की प्रथा शुरू हुई। उदाहरण के लिए 1956 में एकाधिक बार ऐसे कार्य के बारे में घोषणा हुई।[48] अगले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में लगभग नियमित रूप से घोषणा करने की प्रथा 1 सितम्बर, 1958 से शुरू हुई। सामान्यत: यह घोषणा पिछले सप्ताह के अंतिम कार्य-दिवस को की जाती थी या कभी-कभी आगामी सप्ताह के आरंभ में की जाती थी।[49]
>
> 1 सितम्बर , 1958 को संसदीय कार्य मंत्री द्वारा 'वर्तमान सप्ताह' के लिए सरकारी कार्य की घोषणा किए जाने के बाद एक सदस्य ने यह प्रतिक्रिया व्यक्त की कि इससे उन्हें खुशी हुई है। सभापति ने टिप्पणी की: ''यह बिल्कुल ठीक है। वे हर हफ्ते घोषणा करेंगे।'' इसके बाद सदस्य ने सुझाव दिया :''यह अच्छी बात है कि आज की शुरुआत के बाद माननीय मंत्री सप्ताह के कार्य के बारे में सभा में घोषणा करते रहेंगे। इससे हमें मदद मिलेगी। किंतु यदि वे सप्ताह का कार्यक्रम तय करने के पहले हमसे भी परामर्श करने की कृपा कर सकें तो उससे बहुत लाभ होगा क्योंकि यह आवश्यक है कि वे हमारी सुविधा को भी ध्यान में रखें। इसमें संदेह नहीं कि अंतिम निर्णय उन्हें ही करना है किंतु यह घोषणा करने से पहले वे हमारी राय ले सकते हैं।''[50]

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अगले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य की घोषणा सामान्यत: शुक्रवार को की जाती है। इसके पहले सभापीठ द्वारा सरकारी कार्य की विभिन्न मदों के लिए समय के आवंटन के बारे में कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों की घोषणा की जाती है। कार्य मंत्रणा समिति अपनी सिफारिशें एक साप्ताहिक बैठक के बाद करती है जो सामान्यत: बृहस्पतिवार को होती है। सदस्यों की सूचना के लिए उक्त घोषणा संसदीय समाचार में भी प्रकाशित की जाती है।

> एक बार सभा के नेता (श्री एम॰ सी॰ छागला) ने सरकारी कार्य की घोषणा की। सदन में आपत्ति की गई कि सरकारी कार्य के बारे में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा घोषणा किए जाने की सामान्य प्रथा का उल्लंघन किया गया है। एक सदस्य का तर्क था कि सभा के नेता संसदीय कार्य मंत्री की ओर से कार्य की घोषणा नहीं कर सकते क्योंकि सभा के नेता सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका कहना था कि चूंकि सरकारी कार्य की घोषणा की जा रही है इसलिए प्रवक्ता सरकारी प्रवक्ता ही होना चाहिए, सभा का नेता नहीं और सभा के नेता सरकार की ओर से कार्य की घोषणा करके उसके साथ स्वयं को जोड़ रहे हैं और ऐसा करके वे स्वयं को उस परामर्श से वंचित कर रहे हैं जो उनके और विपक्ष के बीच आवश्यक है, साथ ही वे विपक्ष के सुझाव के अनुसार एक खास तरीके से कार्य की अनुकूल व्यवस्था करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री को सलाह देने के विशेषाधिकार से भी स्वयं को वंचित कर रहे हैं। सदस्य ने यह भी कहा कि ऐसा करके एक असंगत व्यवस्था और एक गलत प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है। इसलिए सदस्य ने सभापति से इस संबंध में अपना निर्णय देने का अनुरोध किया। सभा के नेता ने अपने उत्तर में 'मे'ज़ पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस' का हवाला देते हुए कहा कि हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता और साथ ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नेता को कार्य की घोषणा करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। सभापति ने भी टिप्पणी की: ''मे के अनुसार हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता को ऐसा करने का अधिकार है और हमारे नियम भी ऐसा ही कहते हैं।''[51]
>
> बाद के वर्षों के भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां सभा के नेता के द्वारा सरकारी कार्य की घोषणा की गई है।[52] किंतु जब भी संसदीय कार्य विभाग के किसी मंत्री ने कोई वक्तव्य दिया है तो उसके पहले उन्होंने यह कहा है कि वे सभा के नेता की ओर से ऐसा कर रहे हैं।[53]

मोटे तौर पर अस्सी के दशक से पहले यह प्रथा अपनाई जाती रही कि कुछ सदस्यों को अगले सप्ताह के कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाले विषयों के बारे में अपनी बात कहने की अनुमति दी जाए।

उदाहरण के लिए एक बार उपसभापति ने टिप्पणी की:

> सामान्यत: जब कार्य की घोषणा की जाती है तब किसी खास विषय पर चर्चा करने में दिलचस्पी रखने वाले सदस्य उस विषय की ओर माननीय मंत्री और सभा का ध्यान आकर्षित करते हैं।[54]

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री द्वारा 26 अगस्त, 1974 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य की घोषणा के बाद कुछ सदस्यों ने कार्य के संबंध में निवेदन किया। इसके बाद उपसभापति ने टिप्पणी की: ''आज यह सब ठीक है क्योंकि हमने कई सदस्यों की बातें सुनीं। किन्तु अगले दिन के कार्य के इस खास मुद्दे के संबंध में मैं यह चाहूंगा कि अगली बार विभिन्न समूहों के नेता ही बोलें... वस्तुत: नियमों में इस तरह की कोई चीज नहीं है।'' उन्होंने यह भी कहा: ''यदि प्रत्येक समूह यह तय कर ले कि अगले सप्ताह के कार्य के बारे में कौन-सा मुद्दा उठाया जाए तो उस समूह के नेता या उसका कोई अन्य प्रतिनिधि बोल सकते हैं और इससे काफी समय बचेगा। यही मेरा सुझाव है।''[55]

सामान्यत: कार्य की व्यवस्था उसी क्रम में की जाती है जिस क्रम में संसदीय कार्य मंत्रालय सम्बद्ध मंत्री की पूर्वानुमति लेकर उसे प्रेषित करता है। जिस दिन कोई कार्य निपटारे के लिए रखा जाता है उस दिन कार्य के क्रम में तब तक परिवर्तन नहीं किया जाता जब तक सभापति का समाधान न हो जाए कि ऐसे परिवर्तन के लिए पर्याप्त आधार है[56] या उसके संबंध में सभा की आम राय है।

28 अगस्त, 1968 की कार्यावलि में अन्य मदों के साथ क्रमानुसार बिहार विनियोग विधेयक, स्वर्ण (नियंत्रण) विधेयक, विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक और विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक थे। उसी दिन सचिव ने उत्तर प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक के बारे में संदेश की सूचना दी। यद्यपि कोई कार्यावलि जारी नहीं की गई थी तथापि इस विधेयक को लेने पर सहमति हो गई। सरकार ने कार्यावलि के क्रम में कुछ परिवर्तन करने के लिए विपक्ष के साथ बातचीत की क्योंकि ऐसी विशेष कठिनाई उत्पन्न हो गई थी जिसके कारण विनियोग विधेयकों को थोड़ी-सी प्राथमिकता देना आवश्यक था। विपक्ष इस पर सहमत हो गया। विपक्ष एक अत्यंत विशेष मामले के रूप में उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक को उसी दिन लिए जाने पर भी सहमत हो गया हालांकि उसने यह भी कहा कि इस मामले को परम्परा का रूप देकर सरकार को कभी भी लाभ नहीं उठाना चाहिए। सभापीठ ने भी यह कहा कि सभापति से इस मामले में परामर्श किया गया था और एक अत्यंत विशेष मामले के रूप में वे इस परिवर्तन पर सहमत हो गए थे।[57] कार्यावलि में लोक सभा द्वारा यथापारित अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) संशोधन विधेयक, 1977 को विचारार्थ लिए जाने के बारे में दो दिन तक लगातार उल्लेख होता रहा। यह विधेयक संबंधित अध्यादेश का स्थान लेने के लिए था। जब 101वें सत्र के अंतिम दिन कार्यावलि में उसे कोई स्थान नहीं दिया गया तब व्यवस्था का एक प्रश्न उठाया गया। उपसभापति ने निर्णय दिया: ''सदन के समय का वितरण करते समय कुछ समय सरकारी कार्य के लिए नियत किया जाता है और यह बहुत दीर्घकालीन परम्परा रही है कि सरकार किसी खास समय पर कुछ मामलों पर जोर देती है और किसी अन्य समय पर कुछ मामलों को वापस लेना चाहती है। जहां तक सभापीठ का संबंध है, इसमें कोई गलत बात नहीं है।''[58]

सभापति ने 23 फरवरी, 1984 को घोषणा की कि अगले दिन पंजाब के संबंध में एक ध्यानाकर्षण लिया जाएगा।[59] अगले दिन की कार्यावलि में इस मद का उल्लेख न होने पर कुछ सदस्यों ने मामले को उठाया। सभापति ने स्पष्ट किया कि ध्यानाकर्षण के उत्तर में वक्तव्य देने के लिए गृह मंत्री थोड़ा और समय चाहते थे और इसलिए उन्हें इसके लिए अनुमति दी गई है।[60]

9 मई, 1984 की संशोधित कार्यावलि में 'उद्योग मंत्रालय के कार्यकरण पर आगे चर्चा' शीर्षक के अंतर्गत एक मद शामिल की गई थी जिस पर पिछले दिन हुई चर्चा समाप्त नहीं हुई थी किन्तु कार्यावलि में उसका उल्लेख दिवस की पहली मद की बजाय अंतिम मद के रूप में किया गया था। इस पर व्यवस्था का प्रश्न उठा। उपसभापति ने नियम 23 के परंतुक का हवाला देते हुए व्यवस्था दी कि यदि सभापति का समाधान हो गया है तो ऐसा किया जा सकता है।[61]

एक बार कार्यावलि में मूल्य वृद्धि के संबंध में एक अल्पकालिक चर्चा मध्याह्न भोजन के अवकाश के बाद रखी गई थी। विपक्ष चाहता था कि इस मद को प्रश्न-काल के तुरंत बाद लिया जाए। इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया।[62]

कार्य की कोई मद उस स्थिति में कार्यावलि में शामिल की जा सकती है जहां सदन को उसकी पूर्व सूचना दे दी गई हो या दलों के नेता उस पर अनौपचारिक रूप से सहमत हो गए हों।

> विधि मंत्री ने सदन को सूचित किया कि सरकार संविधान (चौथा संशोधन) विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपे जाने के लिए सदन की सहमति के लिए उसे 17 मार्च, 1955 को सदन में लाने का विचार रखती है क्योंकि यह आशा की जाती है कि लोक सभा इस प्रस्ताव को 15 मार्च, 1955 को स्वीकृति दे देगी। चूंकि 17 मार्च, 1955 की कार्यावलि में इस प्रस्ताव को शामिल करना 16 मार्च, 1955 से पहले संभव नहीं है इसलिए वे सदन को इस बारे में सूचित कर रहे हैं।[63]

यह एक सुस्थापित प्रथा है कि कार्य की ऐसी मद को, जिस पर अंशत: चर्चा हुई हो, सामान्यत: अन्य किसी मद के पहले चर्चा के लिए रखा जाता है। किन्तु उस स्थिति में ऐसी मद को अन्य मदों से पहले नहीं रखा जाता जहां संबंधित मंत्री या सभा के नेता के अनुरोध पर सभापति ऐसा करने का निदेश देते हैं या सदन उसके लिए सहमत हो जाता है।

> भ्रष्टाचार निवारण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1952 पर 1 अगस्त, 1952 को हुई चर्चा अधूरी रही। किन्तु अगले दिन (शनिवार) की कार्य-सूची में उक्त विधेयक के पहले एक दूसरे विधेयक का उल्लेख था। व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया कि सदन के समक्ष जो विधेयक पहले से विचाराधीन था, क्या उसे निपटाए बिना दूसरे विधेयक को सभा के समक्ष रखना उचित है। सभापति ने निर्णय दिया:
>
> > प्रश्न यह है कि कार्य का जो क्रम निर्धारित किया जा चुका है, क्या उसका उल्लंघन करना हमारे लिए उचित है। किन्तु सदन सर्वोच्च है और सभा की सहमति से हम कार्य के क्रम में परिवर्तन कर सकते हैं किंतु यह कोई पूर्वोदाहरण नहीं बनना चाहिए।[64]

यदि किसी आसीन सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु के कारण या किसी अन्य कारण से सदन कोई कार्य किए बिना स्थगित हो जाता है तो उस दिन की कार्यावलि में सम्मिलित की गई कार्य की औपचारिक मदों को सामान्यत: अगले दिन की कार्यावलि में शामिल किया जाता है।

गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य

1964 तक, तत्कालीन नियम के अनुसार सभापति सदन के कार्य की स्थिति पर विचार करने के बाद गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए इतने दिन नियत करता था जितने संभव होते थे।[65] किन्तु सामान्यत: ऐसे दिन शुक्रवार होते थे। 1964 में प्रारूप नियमों संबंधी समिति ने नियम में संशोधन करके यह उपबंध किया कि गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का निष्पादन प्रत्येक शुक्रवार को किया जाएगा। जैसाकि कहा जा चुका है, न्यूनाधिक रूप से इसी प्रथा का अनुसरण किया जाता रहा था।[66] नियम समिति ने नियम पर विचार करते हुए यह कहा था:

> वर्तमान नियम में यह उपबंध नहीं है कि गैर-सरकारी कार्य को निश्चित रूप से किसी नियत समय पर लिया जाएगा। प्रथा यह रही है कि शुक्रवार को प्रश्नकाल, औपचारिक कार्य और ध्यानाकर्षण के बाद और यदि किन्हीं विषयों का उल्लेख हो तो उसके बाद उस दिन की कार्यावलि में शामिल गैर-सरकारी कार्यों को सदन में विचारार्थ लिया जाता है।
>
> एक बार यह देखा गया कि गैर-सरकारी कार्य के सिवाय कार्यावलि में दर्ज सभी कार्यों पर इतना समय लग गया कि कार्यावलि में शामिल गैर-सरकारी सदस्यों के मुख्य कार्य को नहीं लिया जा सका। अत: यह सुझाव दिया गया कि प्रत्येक शुक्रवार की अपराह्न की बैठक सिर्फ गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए आरक्षित की जाये ताकि गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य नियत समय पर कम से कम ढाई घंटे तक निश्चित रूप से हो सके।[67]
>
> उदाहरण के लिए, शुक्रवार, 18 दिसम्बर, 1990 को मंत्रियों द्वारा पांच वक्तव्य दिए गए। सारा समय उन पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने में लग गया। इसलिए उस दिन की कार्यावलि में दर्ज संकल्पों को नहीं लिया जा सका। यह सत्र (74वां सत्र) का अंतिम दिन था।

अत: समिति ने एक संशोधित नियम की सिफारिश की जिसमें उपबंध किया गया था कि जब तक सभापति अन्यथा निदेश न दें, गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के निष्पादन के लिए शुक्रवार की बैठक में कम से कम ढाई घंटे नियत किए जाने चाहिएं।[68] ऐसे कार्य की विभिन्न श्रेणियों, अर्थात् विधेयकों और संकल्पों को निपटाने के लिए अलग-अलग शुक्रवार नियत किए जाते हैं। प्रथा के अनुसार किसी सत्र का पहला शुक्रवार विधेयकों के लिए और दूसरा शुक्रवार संकल्पों के लिए नियत किया जाता है और यह क्रम चलता रहता है । इस प्रकार नियत किए गए शुक्रवारों को उस श्रेणी के कार्य को पूर्ववर्तिता प्राप्त होती है।[69]

एक बार गैर-सरकारी कार्य के लिए नियत किए गए शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा हुई जो तीन घंटे तक चलती रही। इसके फलस्वरूप पहले संकल्प के निपटारे के बाद उस दिन लिए गए दूसरे संकल्प पर हुई चर्चा अधूरी रही। अत: सदन इस पर सहमत हो गया कि उसे अगले शुक्रवार को, जो गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिए नियत किया गया था, उस समय विचाराधीन विधेयकों के निपटाए जाने के बाद लिया जाए। तद्नुसार संकल्प को पहले से ही विचाराधीन एक विधेयक के निपटाए जाने के बाद लिया गया।[70]

किन्तु एक अन्य अवसर पर एक बार मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन को नई दिशा देने से संबंधित एक संकल्प पर हुई चर्चा अधूरी रही। सभा में यह सुझाव दिया गया कि चर्चा अगले शुक्रवार को, जिसे गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिए नियत किया गया था, जारी रखी जाए। कार्य मंत्रणा समिति ने सुझाव पर विचार किया और सिफारिश की कि चूंकि गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को अधिसूचित किया जा चुका है इसलिए यथास्थिति बनाए रखी जाए और उस दिन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लिया जाए।[71]

सामान्यत: गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए ढाई घंटे का समय आवंटित किया जाता है जो अपराह्न ढाई बजे से पांच बजे तक का होता है। सदन के कार्य की अत्यावश्यकता को देखते हुए गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के समय को इस तरह बदला जा सकता है ताकि उसके लिए इतना समय उपलब्ध हो जो ढाई घंटे से कम न हो।

उदाहरण के लिए कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर शुक्रवार, 19 दिसम्बर, 1991 के लिए नियत गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य अपराह्न ढाई बजे से पांच बजे तक की बजाय अपराह्न साढ़े तीन बजे से छह बजे तक हुआ।[72]

इसी प्रकार 17 मई, 2002 के लिये दर्ज गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को 2.30 की बजाय पत्रों/प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने और विशेष उल्लेखों के तुरंत पश्चात् 12.31 पर ही ले लिया गया ताकि सभा उस दिन म. प. 3.30 बजे जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा सिविलियनों, सैन्य कार्मिकों और उनके परिवारों के सदस्यों की हत्या के संबंध में अल्पकालिक चर्चा कर सके।[72क]

सभापति सभा के नेता से परामर्श करते हुए गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के निष्पादन के लिए शुक्रवार की बजाय किसी अन्य दिन को भी नियत कर सकता है।[73]

कई बार कार्य मंत्रणा समिति ने सिफारिश की है कि शुक्रवार को सरकारी कार्य किया जाए और गैर-सरकारी कार्य के लिए कोई अन्य दिन नियत किया जाए। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:

(1) 17 अगस्त, 1956 के स्थान पर 31 अगस्त, 1956, (2) 8 अगस्त, 1969 के स्थान पर 14 अगस्त, 1969, (3) 30 जुलाई, 1971 के स्थान पर 31 जुलाई, 1971, (4) 23 दिसम्बर, 1977 के स्थान पर 24 दिसम्बर, 1977 और (5) 1 सितम्बर, 1988 के स्थान पर 2 सितम्बर, 1988।[74]

जैसीकि कार्य मंत्रणा समिति ने सिफारिश की थी, शुक्रवार, 22 फरवरी, 1991 को खाड़ी युद्ध की स्थिति पर चर्चा करने के कारण जिसके लिए प्रश्न-काल निलंबित कर दिया गया था, उस बुधवार के लिए कार्यावलि में उल्लिखित गैर-सरकारी विधेयकों को अपराह्न साढ़े तीन बजे से छह बजे तक लिया गया।[75]

सदन ने 27 अप्रैल, 1995 को निर्णय किया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा अगले दिन अर्थात् शुक्रवार को जारी रहेगी। तद्नुसार, उस दिन के लिए कार्यावलि में दर्ज किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य अर्थात् संकल्पों को मंगलवार, 2 मई, 1995 के लिए स्थगित कर दिया गया।[76]

यदि शुक्रवार को सदन की कोई बैठक न हो तो सभापति यह निदेश देता है कि गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को संपन्न करने के लिए उसी सप्ताह के किसी अन्य दिन की बैठक में इतना समय नियत किया जाए जो ढाई घंटे से कम न हो।[77] ऐसा तब किया जाता है जब किसी सत्र के दौरान सार्वजनिक छुट्टी या संसद् की छुट्टी या अन्य किसी कारण से शुक्रवार के लिए कोई बैठक नियत नहीं की जाती।

उदाहरण के लिए 170वें सत्र के दौरान गुरु रविदास जयंती के कारण शुक्रवार, 25 फरवरी, 1994 को कोई बैठक नियत नहीं की गई। अत: गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य (संकल्प) के लिए बृहस्पतिवार, 24 फरवरी, 1994 को दिन नियत किया गया। 173वें सत्र के दौरान होली के कारण शुक्रवार, 17 मार्च, 1995 की छुट्टी थी और उस दिन के लिए कोई बैठक नहीं थी। अत: गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य (विधेयक) के लिए बृहस्पतिवार, 16 मार्च, 1995 का दिन नियत किया गया। 174वें सत्र के दौरान भी शुक्रवार, 18 अगस्त, 1995 को जन्माष्टमी की छुट्टी के कारण कोई बैठक नहीं थी। अत: गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य (विधेयक) के लिए बृहस्पतिवार, 17 अगस्त, 1995 का दिन नियत किया गया।[78]

189वें सत्र के दौरान शुक्रवार, 21 अप्रैल, 2000 को 'गुड फ्राइडे' की छुट्टी थी इसलिये इस दिन के लिये कोई बैठक नहीं रखी गई। इस कारण बृहस्पतिवार, 20 अप्रैल, 2000 का दिन गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये आंवटित किया गया।

किन्तु उक्त नियम ऐसी स्थिति में लागू नहीं होता जब सत्र के बीच किसी शुक्रवार की बैठक रद्द कर दी जाती है या सरकारी कार्य के लिए सत्र की अवधि बढ़ा दी जाती है और बढ़ी हुई अवधि के दौरान कोई शुक्रवार पड़ता है।

उपरोक्त के होते हुए भी सभापति के सुझाव पर या कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर सदन अपने कार्य को पूरा करने के लिए किसी शुक्रवार को सरकारी कार्य के दिन में परिणत कर सकता है।

प्रारंभ के वर्षों में कई अवसरों पर कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर किसी शुक्रवार के लिए नियत गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को छोड़ दिया गया और वह दिन सरकारी कार्य के लिए नियत कर दिया गया।[79]

एक बार विभिन्न समूहों की ओर से किए गए एक अभ्यावेदन को देखते हुए सभापति ने मूलत: गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए नियत शुक्रवार को सरकारी कार्य करने की अनुमति दी।[80]

एक अन्य अवसर पर सभापीठ ने घोषणा की कि सभा के सभी दल यह चाहेंगे कि शुक्रवार को सरकारी कार्य के लिए नियत कर दिया जाए।[81]

एक अन्य अवसर पर कुछ सदस्यों द्वारा सुझाव दिये जाने और सभा द्वारा उस पर सहमति प्रकट किये जाने पर सभापीठ ने यह घोषणा की थी कि बिहार पुनर्गठन विधेयक, 2000 पर विचार करने और उसे पारित करने के काम को पूरा करने के लिये उस दिन अर्थात् 11 अगस्त, 2000 को सरकारी कार्य के हित में गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को नहीं लिया जायेगा।[82]

राज्य सभा के 195वें सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों सम्बन्धी काम के लिये पांच अलग-अलग तिथियां, अर्थात् 1 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 3 मई और 17 मई, 2002 आवंटित की गई थीं।[83] लेकिन 1 मार्च, 15 मार्च और 19 अप्रैल, 2002 को सभा के स्थगित हो जाने के कारण गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों सम्बंधी कार्य को नहीं लिया जा सका।[84] 3 मई, 2002 को सभा की सहमति लेने के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि इस बात के लिये कि सभा गुजरात संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा कर सके, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों संबंधी काम को नहीं लिया जायेगा।[85]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों संबंधी कार्य को 10 मई, 2002 को लिया गया। यह दिन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों संबंधी कार्य के लिये आवंटित था। उस दिन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों से संबंधित कार्य मध्याह्न 12.00 बजे से प्रारम्भ होकर म.प. 2.30 तक

चला। उसके तुरंत पश्चात् गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों संबंधी कार्य को लिया गया जो म. प. 5.00 बजे तक चला। [86]

कार्यावलि

कार्यावलि सभा की किसी दिन की बैठक की कार्य-सूची होती है या एक क्रम-पत्र होता है जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी दोनों प्रकार के कार्यों की उन मदों का क्रमबद्ध रूप से उल्लेख होता है जिन्हें किसी खास दिन या दिनों को लिया जाना होता है। संदर्भ की सुविधा के प्रयोजन के लिए कार्यावलि के रूप इस प्रकार हैं: मुख्य कार्यावलि जो किसी दिन के कार्य के लिए जारी की जाती है; सम्मिलित कार्यावलि जो दो या उससे अधिक दिनों के लिए जारी की जाती है;[87] कार्यावलि जो पिछली कार्यावलि का स्थान ले लेती है;[88] अनुपूरक कार्यावलि जो मुख्य कार्यावलि के अंतर्गत दर्ज नहीं की गई, अतिरिक्त या नई मदों को शामिल करने के लिए जारी की जाती है और संशोधित कार्यावलि जो मुख्य कार्यावलि में शामिल की जा चुकी मदों के क्रम में परिवर्तन करने, और उनका विस्तार करने अथवा उनके समेकन के लिए जारी की जाती है।

महासचिव कार्यावलि को तैयार कराता है और उसे संबंधित दिन की सदन की बैठक के आरंभ होने के पूर्व प्रत्येक सदस्य को उपलब्ध किया जाता है[89] सामान्यत: कार्य की पहली मद ''प्रश्न'' होती है और कार्यावलि में उसका उल्लेख किया जाता है किन्तु किसी दिन के लिए नियत तारांकित, अतारांकित और अल्प-सूचना प्रश्नों की सूचियों को पृथक् सूचियों के रूप में मुद्रित और परिचालित किया जाता है। इसी प्रकार किसी विधेयक, प्रस्ताव (जिसमें धन्यवाद प्रस्ताव भी शामिल है), संकल्प आदि के संबंध में उपस्थित किए जाने वाले संशोधनों को भी अलग से मुद्रित और परिचालित किया जाता है। इस प्रकार किसी बैठक के लिए जो क्रम-सूची (ऑर्डर पेपर) या कार्य-सूची (एजेंडा) होती है वह कार्यावलि, प्रश्नों की सूचियों, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों की सूची, विधेयकों, प्रस्तावों और संकल्पों से संबंधित संशोधनों की सूचियों से मिलकर बनती है।

सभापति की अनुमति के बिना सदन की किसी बैठक में ऐसा कार्य नहीं किया जा सकता जिसे दिवस की कार्यावलि में शामिल न किया गया हो।[90] दूसरे शब्दों में कोई सदस्य कार्यावलि में शामिल न किए गए ऐसे मामले को तब तक नहीं उठा सकता जब तक सभापति ने उसके लिए अनुमति न दी हो, किन्तु, जैसा कि कहा जा चुका है, शपथ/प्रतिज्ञान, दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि और अन्य उल्लेख, मंत्रियों का परिचय, विशेषाधिकार के प्रश्न जैसी कार्य की मदों को कार्यावलि में उनका उल्लेख न होते हुए भी लिया जा सकता है। कोई मंत्री सभापति की पूर्व अनुमति से अनुपूरक कार्यावलि जारी न किए जाने पर भी किसी अविलंबनीय लोक महत्त्व के विषय पर वक्तव्य दे सकता है। ऐसे मामले में सामान्यत: सभापीठ द्वारा इस आशय की घोषणा की जाती है।

नियमों के अधीन कार्य की जिस मद के लिए सूचना की आवश्यकता होती है उसे सूचना की अपेक्षित अवधि के समाप्त होने पर ही कार्यावलि में सम्मिलित किया जाता है।[91]

पत्रों की सूची को और अधिक सुसंबद्ध और सुगम बनाने के लिये सामान्य प्रयोजन समिति ने वर्ष 2001 में निम्नलिखित उपान्तरण किये जाने की सिफारिश की थी[92]—

(i) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों के नियम 29 के उपबंधों के अनुसरण में, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों की एक अलग सूची होगी जिसमें संविधान के उपबंधों, संसद् के अधिनियमों और सदन अथवा सभापति के सामान्य निदेशों के अनुसरण में मंत्रियों द्वारा सभा पटल पर रखे जाने वाले विभिन्न पत्र शामिल होंगे;

(ii) सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों की सूची एक भिन्न रंग के कागज पर एक पृथक् दस्तावेज के रूप में दिवस की कार्यावलि के साथ परिचालित की जायेगी। परन्तु यदि पत्रों को बहुत थोड़े समय में परिचालित किया जाना हो तो इसे पूर्व की भांति अनुपूरक कार्यावलि में सीधे शामिल किया जा सकेगा;

(iii) सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों की पृथक् सूची को दिवस की मुख्य कार्यावलि का एक भाग माना जायेगा;

(iv) मुख्य कार्यावलि में पृथक् सूची में दर्ज पत्रों को सभा पटल पर रखने वाले मंत्री/मंत्रियों के साथ उन मंत्रालयों के नाम शामिल होंगे जिनके पत्र सभा पटल पर रखे जाने हैं; और

(v) यदि सभा मद से संबंधित कार्य को वास्तव में पूरा किये बिना ही स्थगित हो जाये तो जब तक कि सभापीठ अन्यथा निदेश न दे, उस दिन के लिये दर्ज पत्रों को संबद्ध मंत्रालय के लिये आंवटित अगले प्रश्न-दिवस की सूची में शामिल किया जा सकता है।

यह प्रक्रिया राज्य सभा के 193वें सत्र से अपनायी जा रही है और मुख्य/संशोधित कार्यावलि के साथ सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों की एक पृथक् सूची भी जारी की जा रही है जिसमें सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों का विस्तृत विवरण दिया जाता है। दोनों के लिये पृष्ठ संख्या एक ही क्रम से दी जाती है और अनुपूरक पत्रों के मामले में, मद का सीधे सभा पटल पर रखा जाना अनुपूरक कार्यावलि में दर्शाया जाता है।

टिप्पणियां और संदर्भ

1. राज्य सभा वाद-विवाद, 21.7.1975, कालम 24, 33-44; 3.11.1976, कालम 38-49
2. अनुच्छेद 112(1) और 115(1)
3. अनुच्छेद 123(2)(क), 352(4), 356(3), 359(3), 360(2)
4. अनुच्छेद 151(1)
5. अनुच्छेद 281
6. अनुच्छेद 338(2)
7. अनुच्छेद 340(3)
8. अनुच्छेद 350ख(2)
9. अनुच्छेद 323(1)
10. अनुच्छेद 320(5)
11. नियम 91
12. नियम 153, 198, 211, 212च, 212ड, 212फ, 219, 274(3)
13. नियम 145
14. नियम 66
15. नियम 112
16. नियम 121, 186
17. संसदीय समाचार (1), 30.3.1989
18. संसदीय समाचार (1), 13.3.1991

19. राज्य सभा वाद-विवाद, 14.8.1987, कालम 337-38
20. नियम 180(5) प्रक्रिया के ब्यौरे के लिए आगे अध्याय-18 **देखिए**
21. नियम 251
22. -वही-
23. कार्य मंत्रणा समिति का कार्यवृत्त, 28.7.1982
24. -वही- 9.8.1985
25. -वही- 1.8.1991
26. नियम 241
27. नियम 66(1)
28. नियम 17(1)(क)
29. नियम 184
30. कार्य मंत्रणा समिति का कार्यवृत्त, 4.8.1978
31. नियम 176
32. नियम 182(1)
33. नियम 60(5)
34. कार्य मंत्रणा समिति का कार्यवृत्त, 2.3.1994, 26.7.1994
35. -वही- 8.3.1982
36. -वही- 12.8.1993
37. -वही- 19.8.1993
38. नियम 23
39. संसदीय समाचार (2), 21.2.1959
40. -वही- 19.2.1959
41. राज्य सभा वाद-विवाद, 20.2.1959, कालम 1373
42. संसदीय समाचार (2), 17.8.1962
43. -वही- 10.8.1962
44. राज्य सभा वाद-विवाद, 21.8.1962, कालम 2613–35
45. -वही- 2.8.1982, कालम 210
46. नियम 23
47. उदाहरण के लिए **देखिए**, संसदीय समाचार (2), 13.2.1995
48. संसदीय समाचार (1), 21.2.1956, 8.3.1956, 27.8.1956
49. -वही- 1.9.1958, 5.9.1958, 12.9.1958, 19.9.1958, 24.11.1958, 28.11.1958, 5.12.1958, 12.12.1958, 19.12.1958
50. राज्य सभा वाद-विवाद, 1.9.1958, कालम 1576-77
51. -वही- 17.2.1966, कालम 467–70
52. संसदीय समाचार (1), 25.2.1966, 4.3.1966, 11.3.1966, 18.3.1966, 25.3.1966, 1.4.1966, 7.5.1966, 13.5.1966, 29.7.1966, 5.8.1966, 16.2.1968, 26.7.1968, 2.8.1968, 23.8.1968, 22.11.1968, 6.12.1968, 13.12.1968, 20.12.1968

53. संसदीय समाचार (1), 12.8.1966, 9.8.1968, 14.8.1968 और 29.11.1968
54. राज्य सभा वाद-विवाद, 19.11.1971, कालम 145
55. -वही- 24.8.1974, कालम 44–46
56. नियम 23, परंतुक
57. राज्य सभा वाद-विवाद, 28.8.1968, कालम 4990
58. -वही- 28.6.1977, कालम 103
59. -वही- 23.2. 1984, कालम 26
60. -वही- 24.2.1984, कालम 192–99
61. -वही- 9.5.1984, कालम 179–94
62. -वही- 7.8.1990, कालम 211
63. -वही- 11.3.1955, कालम 1645
64. -वही- 2.8.1952, कालम 2681-82
65. नियम 23 (जैसाकि वह 1964 के पहले था), पृष्ठ iv-v
66. रिपोर्ट ऑफ कमेटी आन ड्राफ्ट रूल्स ऑफ प्रोसीजर, पृष्ठ iv-v
67. नियम समिति का दूसरा प्रतिवेदन (अंग्रेजी), कालम 1-2
68. नियम 24
69. -वही- परंतुक
70. राज्य सभा वाद-विवाद, 27.8.1954, कालम 602; संसदीय समाचार (1), 27.8.1954, 3.9.1954
71. कार्य मंत्रणा समिति का कार्यवृत्त, 1.8.1977
72. राज्य सभा वाद-विवाद, 19.12.1991, कालम 509

72क. संसदीय समाचार (1), 16.5.2002

73. नियम 24, दूसरा परंतुक
74. कार्य मंत्रणा समिति का कार्यवृत्त, 14.8.1956, 5.8.1969, 20.7.1971, 20.12.1977, 1.9.1988
75. राज्य सभा वाद-विवाद, 22.2.1991, कालम 139
76. संसदीय समाचार (1), 27.4.1995
77. नियम 24, तीसरा परंतुक
78. 170वें, 173वें और 174वें सत्रों के लिए बैठकों की अस्थायी सारणी
79. कार्य मंत्रणा समिति का कार्यवृत्त, 16.11.1962, 2.6.1964, 3.12.1965, 6.5.1966, 7.3.1968
80. राज्य सभा वाद-विवाद, 16.12.1962, कालम 3137
81. -वही- 12.3.1964, कालम 4168
82. -वही- 10.8.2000, कालम 332
83. 195 सत्र की बैठकों की अनन्तिम तालिका
84. संसदीय समाचार (1), 1.3.2002, 15.3.2002 और 19.4.2002
85. -वही- 3.5.2002
86. -वही- 10.5.2002
87. उदाहरण के लिए **देखिए** 2, 3 और 4 मई, 1994 के लिए जारी की गई कार्यावलि, दिनांक 29.4.1994
88. उदाहरण के लिए **देखिए** संशोधित कार्यावलि, दिनांक 24.8.1968 का स्थान लेने वाली कार्यावलि, दिनांक 26.8.1968; सम्मिलित कार्यावलि, दिनांक 18.11.1968 का स्थान लेने वाली कार्यावलि, दिनांक 19.11.1968; पिछली कार्यावलियों का स्थान लेने वाली दिनांक 22.5.1990, 7.8.1990 और 9.8.1994 की कार्यावलियां जो क्रमशः 23.5.1990, 8.8.1990 और 10.8.1994 के लिए जारी की गई थीं
89. नियम 29(1)
90. नियम 29(2)
91. नियम 29(3)
92. संसदीय समाचार (2), 19.6.2001